पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

प्रेस विज्ञप्ति

ई–एनपीएस के जरिये अनिवासी भारतीय एनपीएस में शामिल होकर उठा सकते हैं इसका लाभ

भारतीय अर्थव्यवस्था में, अनिवासी भारतीय महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। विश्व में प्रवासी नागरिकों की संख्या की दृष्टि से भारत , विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। 200 से अधिक देशों में लगभग 29 मिलियन भारतीय मूल के लोग निवास करते हैं इनमें से 25 प्रतिशत प्रवासी खाड़ी देशों में हैं। अधिकांश भारतीय रोजगार के सिलसिले में खाड़ी देशों और अन्य देशों में जाते हैं और एक निश्चित अवधि तक विदेशो में काम करने के बाद वापिस भारत लौट आते हैं।

उनकी वृद्धावस्था आय सुरक्षा के लिए एनपीएस एक दीर्घकालिक उपाय उपलब्ध कराता है। कुछ समय तक एनपीएस, बैंक अधिकारियों के जरिये अनिवासी भारतीयो के लिए उपलब्ध था लेकिन अब एनपीएस में शामिल होने की प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाते हुए अनिवासी भारतीयों के लिए ई–एनपीएस का विस्तार किया गया है।

यदि अनिवासी भारतीयों के पास आधार कार्ड अथवा पैन कार्ड है तो अब वह एनपीएस खाता, आनलाइन खोत सकते हैं।

अब से पहले, अनिवासी भारतीय केवल कागजी आवेदन के जरिये, अपने बैंक अधिकारियों के माध्यम से ही एनपीएस खात खोल सकते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है। ई एनपीएस के जरिये अनिवासी भारतीय घर बैठे ही अपना एनपीएस खाता खोल सकेंगे। इससे लिए उन्हें केवल इंटरनेट कनेक्शन और आधार कार्ड/पैन कार्ड की आवश्यकता होगी।

इसके अतिरिक्त, अनिवासी भारतीय प्रत्यावर्तन और गैर प्रत्यावर्तन, दोनों ही आधार पर अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। प्रत्यावर्तन आधार वाले खाते में अनिवासी भातरीय को अपने एनआरई/एफसीएनआर/एनआरओ खाते के माध्यम से राशि जमा करानी होगी।

गैर –प्रत्यावर्तन योजना के अंतर्गत, अनिवासी भारतीय अपने एनआरई/एफसीएनआर/एनआरओ खाते के माध्यम से एनपीएस में शामिल हो सकते हैं। परिपक्वता के समय और आंशिक प्रत्याहरण के दौरान, एनपीएस निधि को केवल एनआरओ खाते में जमा किया जाएगा।

आकर्षित प्रतिलाभ, कम लागत, लचीलापन और भारत सरकार द्वारा स्थापित विनियामक – पीएफआरडीए द्वारा विनियमन को देखते हुए प्रत्यावर्तन और गैर प्रत्यावर्तन योजना मुख्य रूप से ऐसे अनिवासी भारतीय के लिए है जो विदेशों में काम करने के बाद भारत वापिस लौटना चाहते हैं।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16.06.2016